न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **95/2025** दायर दिनाँक **19.03.2025**

वादी		प्रतिवादी
1.नरसिंह पुरी पुत्र मान पुरी जाति गोस्वामी निवासी थेबडी तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन	**बनाम्**	1. तहसीलदार छोटीखाटू

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

श्री तेजपाल पुरी एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **07.01.2026**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में बाद फौतगी नामान्तरण के समय राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वर्तमान खातेदारी में नरसिंह पुरी पुत्र मान पुरी साकिन देह खातेदार मौजा ग्राम थेबडी पटवार हल्का थेबडी भू.अ.नि. तोषिणा तहसील छोटीखाटू जिला नागौर हाल जिला डीडवाना–कुचामन दर्ज होना चाहिए था परन्तु अशुद्ध नाम सहवन से नन्दापुरी पुत्र मानपुरी जाति गोस्वामी साकिन देह खातेदार खसरा संख्या 845, 846 में दर्ज हो गया है। नन्दापुरी पुत्र मानपुरी व नरसिंह पुरी पुत्र मानपुरी दोनों एक ही आदमी है तथा वादी का नाम सरकारी रेकर्ड में जिसमें आधार कार्ड, ई–श्रम कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक इत्यादि में नरसिंह पुरी पुत्र मानपुरी ही नाम दर्ज है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में अशुद्ध नाम नन्दापुरी पुत्र मानपुरी दर्ज होने से वादी को कानूनी अडचने उत्पन्न हो रही है। जिससे वास्तविक नाम जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना कानूनी रूप से विधि सम्मत् आया है।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार है:–

मौजा ग्राम थेबडी पटवार हल्का थेबडी भू.अ.नि. तोषिणा तहसील छोटीखाटू जिला नागौर हाल जिला डीडवाना–कुचामन के खेत खसरा नम्बर 845, 846 में दर्ज खातेदार नन्दापुरी पुत्र मानपुरी के स्थान पर शुद्धिकरण करते हुए नरसिंह पुरी पुत्र मानपुरी नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निर्णय फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक भूअ/2025/1547 दिनांक 17.09.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। वादी ग्राम थेबडी के खेत खसरा संख्या 845, 846 की भूमि में वादी का नाम नन्दापुरी पुत्र मानपुरी के स्थान पर नरसिंह पुरी पुत्र मानपुरी दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:01:34 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम थेबडी के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खसरा संख्या 845 व 846 कुल रकबा 6.63 है. में नन्दापुरी पुत्र मानपुरी हि.

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

1/8 जाति गुसाई सा. देह खातेदार की सहखातेदारी रेकर्ड दर्ज है। ग्राम थेबडी के पुराने खसरा संख्या 266 रकबा 40–16 बीघा की खातेदारी चौसाला जमाबंदी संवत 2045–2048 में मानपुरी पुत्र नवलपुरी हि. 1/2 रिकार्ड दर्ज था तत्पश्चात नामा सं 168 विरासत के द्वारा मानपुरी पुत्र नवलपुरी हि. 1/2 के स्थान पर तिलोकपुरी, शिवलालपुरी, नन्दापुरी पुत्र मानपुरी, बिदामी बेवा मानपुरी हि. 1/2 रिकार्ड दर्ज हुआ। प्रार्थी अपना नाम नन्दापुरी पुत्र मानपुरी के स्थान पर नरसिंह पुरी पुत्र मानपुरी दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का सही नाम नरसिंह पुरी है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त रिपोर्ट, विद्वान अभिभाषक की बहस के आधार पर राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन होने के कारण वादी के सही अंकन होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

–:: आदेश ::–

मौजा ग्राम थेबडी पटवार हल्का थेबडी भू.अ.नि. तोषिणा तहसील छोटीखाटू जिला नागौर हाल जिला डीडवाना–कुचामन के खेत खसरा नम्बर 845, 846 कुल रकबा 6.6300 हैक्टेयर भूमि में वादी का नाम नन्दापुरी पुत्र मानपुरी के स्थान पर नरसिंह पुरी पुत्र मानपुरी दुरूस्त किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉक **07.01.2026** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 13:01:34 IST
Reason: SelfAttested